संख्या- सीपी-832/29-8-2005-सीपी 6/2004

प्रेषक,

श्री डी0 सी0 लाखा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निबन्धक,
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,
2, राणा प्रताप मार्ग, मोती महल, लखनऊ।

खाद्य एवं रसद अनुभाग - 8 लखनऊ :: दिनांक :: 09 दिसम्बर, 2006

विषय राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग/जिला फोरमों में वाद/अपील दायर करते समय टिकट युक्त पता सहित लिफाफों का उपलब्ध कराया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या- 2169/एससीडीआरसी/यू0पी0/2005, दिनांक 28 नवम्बर, 2005 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से यह अवगत कराते हुये अनुरोध किया गया है कि उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2002 में वाद/अपीलें अंगीकृत हो जाने के पश्चात ही पक्षकारों को नोटिस जारी करने का प्रावधान किया गया है। अतः उसके पश्चात ही पक्षकारों को नोटिस भेजे जाने हेतु वादकारियों से रजिस्ट्री लिफाफा लिये जाने का प्रावधान किये जाने के लिये इस संबंध में पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या-यू0ओ0437/29-10-93 दिनांक 16 सितम्बर,1993 को संशोधित किया जाय।

2. अतः निबंधक,राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,उ0प्र0,लखनऊ द्वारा किये गये उक्त अनुरोध के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया दिनांक 15 जनवरी,2006 से जो वाद/अपील दायर हो,उसके अंगीकृत होने के पश्चात ही वादी/वादीगण से संबंधित पक्षकारों को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस निर्गत करने हेतु पता लिखे हुये एवं वांछित टिकट लगे हुये लिफाफे अवश्य प्राप्त कर दूसरे पक्ष को नोटिस भेजने की कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

3. निबंधक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,उ0प्र0,लखनऊ द्वारा इस शासनादेश के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चत करने हेतु समस्त जिला फोरमों एवं तत्संबंधित को अपने स्तर से समयान्तर्गत निर्देश निर्गत किये जायेगें।

4. शासनादेश संख्या-यू0ओ0437/29-10-93 दिनांक 16 सितम्बर,1993 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाये।

भवदीय,

(डी0सी0 लाखा)
प्रमुख सचिव